राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 7(49)राज/वाद/13 जयपुर, दिनांक 03/6/25

:: आदेश ::

श्री दलपत सिंह सिंदल, कनिष्ठ सहायक तत्कालीन कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जैतारण, पाली हाल पदस्थापन कार्यालय अपर लोक अभियोजक, देसूरी जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांक प.7(49)राज/वाद/13 जयपुर, दिनांक 19.11.19 के द्वारा निम्नानुसार आरोप प्रसारित किये गयेः–

"यह कि आप श्री दलपत सिंह सिंदल, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जैतारण, पाली में कार्यरत रहने के दौरान दिनांक 21.05.15 से 10.07.16 तक की अवधि में विभिन्न दिवसों पर तथा दिनांक 16.07.16 से लगातार अपने कार्यालय से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित हैं।

आपको जिला कलक्टर, पाली ने नोटिस दिनांक 27.08.15, 18.02.16 जारी कर तथा विभागीय पत्र दिनांक 14.10.16, 16.11.16, 25.01.17, 02.08.18 व 29.08.18 के द्वारा आपको कार्यालय में उपस्थित होने एवं कार्यालय से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने व सुसंगत दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु आप कार्यालय में कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए एवं सुसंगत दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये। इस प्रकार आप श्री दलपत सिंह सिंदल कार्यालय से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने एवं आदेशों की अवहेलना कर, कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतकर गम्भीर दुराचरण करने के लिये उत्तरदायी हैं। जैसा कि आरोप विवरण पत्र में वर्णित है।"

उक्त ज्ञापन की प्रति आरोपी कर्मचारी श्री दलपत सिंह सिंदल को प्रेषित कर इस संबंध में जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया कि "क्या आप आरोप पत्र की सत्यता को स्वीकार करते है? अथवा अपने बचाव में आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहते है अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है?"

उपलब्ध विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी कर्मचारी की ओर से कोई जवाब/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने पर विभागीय आदेश दिनांक 31.05.2020 तथा पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा प्रकरण की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट दिनांकित 03.11.2023 का अवलोकन किया गया, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री दलपत सिंह सिंदल के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन दिनांक 19.11.2019 के द्वारा प्रसारित आरोप पत्र में विरचित आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

जांच अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट दिनांकित 03.11.2023 की प्रति विभागीय पत्र दिनांक 28.11.2023 के द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री दलपत सिंह सिंदल को प्रेषित कर निर्देशित किया गया कि जांच रिपोर्ट के संबंध में आप अपना पक्ष/अभ्यावेदन उक्त पत्र प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते है तो उक्त 15 दिवस की अवधि में 01 दिवस पूर्व सूचित कर, किसी भी कार्य दिवस में अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होवें। आरोपी कर्मचारी को यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त 15 दिवस की अवधि में आप द्वारा अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करने/ व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होने की स्थिति में जांच रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय ले लिया जावेगा।

03/06/25

आरोपी कर्मचारी द्वारा निर्धारित अवधि में इस संबंध में कोई जवाब अथवा उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने पर पुनः विभागीय पत्र दिनांक 09.01.2024, 28.02.2024, 18.03.2024, 25.04.2024, 21.05.2024 एवं 06.09.2024 प्रेषित कर निर्देशित किया गया कि पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय में जांच रिपोर्ट दिनांक 03.11.2023 के संबंध में अपना अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा यह समझा जावेगा कि जांच रिपोर्ट के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही कर दी जावेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

उक्त पत्र जारी करने के उपरान्त भी आरोपी कर्मचारी की ओर से जवाब/उपस्थिति प्रस्तुत नहीं होने पर विभागीय पत्र दिनांक 27.11.2024 के द्वारा निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय, जयपुर को आरोपी कर्मचारी श्री दलपत सिंह सिंदल को जारी किये गये विभागीय पत्र दिनांक 27.11.2024 को दैनिक समाचार पत्र (राजस्थान पत्रिका के पाली संस्करण) में प्रकाशित/साया करवाया गया। उक्त नोटिस दिनांक 27.11.2024 राजस्थान पत्रिका के पाली संस्करण में दिनांक 05.12.2024 को प्रकाशित हुआ है। आरोपी कर्मचारी को उनके विरूद्ध प्रसारित/विरचित आरोपों के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी आरोपी कर्मचारी अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुये हैं।

<u>विवेचनः</u> –

प्रकरण से संबंधित उपलब्ध रिकॉर्ड एवं विभागीय जाँच कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात तथा गवाहों के बयानों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विभागीय आदेश दिनांक 02.05.13 के द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री दलपत सिंह सिंदल को आदेश में वर्णित शर्तों के साथ कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गयी थी, जिसकी पालना में श्री सिंदल ने कार्यालय अपर लोक अभियोजक, जैतारण जिला पाली में दिनांक 22.05.2013 को उपस्थिति प्रस्तुत कर कार्यग्रहण किया।

अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जैतारण, पाली के पत्र दिनांक 04.08.2016, 10.10.2019 एवं जिला कलक्टर, पाली के पत्र दिनांक 26.09.2016 व 04.11.2019 के द्वारा आरोपी कर्मचारी श्री दलपत सिंह सिंदल के अपने कार्यालय में कार्यरत रहने के दौरान दिनांक 21.02.15 से 10.07.16 तक की अवधि में विभिन्न दिवसों में तथा दिनांक 16.07.16 से लगातार अपने कार्यालय से बिना पूर्व अनुमति स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने के संबंध में इस विभाग को अवगत करवाया गया। आरोपी कर्मचारी द्वारा उक्त अनुपस्थिति अवधि के संबंध में उसे दिये गये नोटिस का भी कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तत्पश्चात् कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन दिनांक 19.11.2019 जारी कर आरोप पत्र मय आरोप–विवरण पत्र प्रसारित किये गये। अपचारी कर्मचारी द्वारा उसे जारी किये गये ज्ञापन एवं उनके विरूद्ध प्रसारित किये गये आरोपों के संबंध में कोई जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण में विभागीय जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का आद्योपांत अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि आरोपी कर्मचारी उसके विरूद्ध विचाराधीन विभागीय जांच में उसे बार–बार नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त दिनांक 15.12.2020, 02.03.2021, 07.04.2021, 07.07.2021 एवं 05.08.2021 को जांच कार्यवाही में उपस्थित हुआ है। दिनांक 02.03.2021 को आरोपी कर्मचारी द्वारा विधि सचिव के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके विरूद्ध विरचित आरोपों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि मेरा मूल निवास स्थान कार्यस्थल से 200 कि0मी0 दूर है, जहाँ मेरी वृद्ध माता जी मेरे परिवार के साथ निवास करती है। मैं मेरे कार्यस्थल जैतारण में अविवाहित होने के कारण अकेला निवास करता था। मेरी माता जी के गंभीर बीमार होने के समाचार मुझे दिनांक

03/06/25

20.02.2015 को मिला था तब मैं अपने मूल निवास बेड़ा गया था तब मैंने अपनी माता जी को खाना खिलाना, दवाईयाँ दिलाना, समय–समय पर कपड़ो व बिस्तर को बदलना व देखभाल करना इत्यादि कार्य किया। क्योंकि मेरी माता जी का मुझ से अत्यधिक लगाव होने से मैं जब भी घर से अपने कार्यस्थल पर प्रस्थान करता तो वो रो–रो कर अपना बुरा हाल कर खाना पीना छोड़ देती थी, जिससे मैं उनके पास रहा। माता जी की शारीरिक पीड़ा के कारण, मानसिक तनाव रहने के कारण प्रत्युत्तर समय पर नहीं दे सका। अनुपस्थिति अवधि में भी माता जी की सेवा में रहा। आरोपी कर्मचारी के अनुरोध पर विभागीय आदेश दिनांक 07.12.2021 के द्वारा श्री श्याम सुन्दर शर्मा, से0नि0 सहायक विधि परामर्शी को आरोपी कर्मचारी के बचाव हेतु सहायक अधिकारी नियुक्त किया गया। दिनांक 24.01.2022 को बचाव प्रतिनिधि श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति दी गई तथा अपना पक्ष रखने को एक अवसर चाहा। तदुपरान्त आरोपी कर्मचारी अथवा उसके बचाव प्रतिनिधि आगामी सुनवाई दिनांक 24.03.2022, 07.07.2022, 27.09.2022, 23.01.2023, 14.02.2023, 01.03.2023, 27.03.2023, 26.05.2023 एवं 05.07.2023 को बाद सूचना पत्र/नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुयें।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थापक अधिकारी द्वारा आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित किये जाने हेतु मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। मौखिक साक्ष्य के रूप में 02 गवाह (श्री सुरेश कुमार वर्मा एवं श्री लक्ष्मण सिंह राजावत) को प्रस्तुत किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जिला कलक्टर, पाली का पत्र दिनांक 27.08.2015, 28.02.16, जिसके द्वारा श्री दलपत सिंह सिंदल को अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था तथा पत्र दिनांक 26.09.2016, जिसके द्वारा जिला कलक्टर, पाली ने शासन सचिव, विधि को आरोपी कर्मचारी श्री दलपत सिंह सिंदल के कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आग्रह किया था। उक्त पत्रों के अनुसार श्री दलपत सिंह सिंदल बिना पूर्व सूचना तथा बिना अवकाश स्वीकृत करवाये कार्यालय से अनुपस्थित चल रहे हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा अपर लोक अभियोजक, जैतारण, पाली के पत्र दिनांक 26.10.2015, 04.08.2016, 10.10.2019 एवं विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (वादकरण) के पत्र दिनांक 14.10.2016, 16.11.2016, 25.01.2017, 02.08.2018 प्रस्तुत किये गये हैं, जिनसे यह प्रमाणित है कि आरोपी कर्मचारी श्री दलपत सिंह सिंदल उल्लेखित अवधि में अपने कार्यालय में सूचना दिये बिना स्वेच्छा से अनुपस्थित रहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कुल 16 दस्तावेज (प्रदर्श 1 से प्रदर्श 16) प्रस्तुत किये गये।

उपलब्ध विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर आरोपी कर्मचारी श्री दलपत सिंह सिंदल की माता जी श्रीमती गीता कंवर द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि मेरा पुत्र दलपत सिंह सिंदल पुत्र श्री मोहब्बत सिंह, कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय अपर लोक अभियोजक, जैतारण, पाली में पदस्थापित है तथा यह ही परिवार के पालन पोषण का स्रोत है लेकिन मेरा पुत्र शराब पीने का अति आदि होने से इसके हाथों द्वारा कार्य नहीं हो पा रहा है एवं मानसिक रूप से भी कमजोर हो गया है, जिससे यह लाईलाज बीमारी से ग्रसित हो गया है तथा यह वर्तमान में अविवाहित है। मेरे अन्य 02 पुत्र जो इन पर आश्रित है। अतः मेरे पुत्र दलपत सिंह सिंदल के स्थान पर अन्य 02 पुत्रों महेन्द्र सिंह या इन्द्र सिंह में से किसी एक को योग्यतानुसार सरकारी नौकरी पर अनुकम्पा नियुक्ति दिलाने का कष्ट करावें।

आरोपी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2021 में यह स्वीकार किया गया है कि उसकी माता जी के बीमार होने के समाचार उसे दिनांक 20.02.2015 को मिले थे, तब वह अपने मूल निवास गांव बेड़ा गया था और अपनी माता जी की देखभाल का कार्य किया था अर्थात आरोपी कर्मचारी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वह दिनांक 21.02.2015 से अपने कर्त्तव्य स्थल से

03/6/25

अनुपस्थित था। विभागीय ज्ञापन दिनांक 19.11.2019 के द्वारा जारी आरोप पत्र में आरोपी कर्मचारी की अनुपस्थिति दिनांक 21.05.2015 टंकण त्रूटिवश लिखी गई है, यद्यपि आरोप विवरण पत्र में दिनांक 21.02.2015 अंकित है। इस प्रकार आरोप पत्र में वर्णित दिनांक 21.05.2015 के स्थान पर दिनांक 21.02.2015 प्रमाणित है।

जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी निष्कर्ष निकाला है कि आरोपी कर्मचारी ने अपने जवाब दिनांक 15.12.2020, 02.03.2021 व 07.04.2021 में ड्यूटी से अनुपस्थित रहना स्वयं स्वीकार किया है। आरोपी कर्मचारी द्वारा कार्यस्थल से दूर होने, अपनी माता जी की बीमारी, उनकी देखभाल के कारण ड्यूटी पर नहीं आने तथा विभागीय नोटिसों का समय पर प्रत्युत्तर नहीं देने का कथन भी अपने जवाब में किया है तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया है अर्थात आरोपी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसके द्वारा विभाग के नोटिसों को प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। आरोपी कर्मचारी द्वारा अपनी माता जी की बीमारी के संबंध में प्राईवेट हॉस्पीटल की पर्चियाँ अपने जवाब के साथ संलग्न की है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसकी माता जी के बीमार होने के कारण अपने अनुपस्थित रहने की सूचना उसके द्वारा समय–समय पर अपने कार्यालय को दी गई हो। किसी कर्मचारी को बीमारी के अलावा किसी अन्य कारण से अवकाश पर रहने के लिये अपने नियंत्रण अधिकारी को सूचित कर अवकाश स्वीकृत कराने पर ही वह अवकाश पर प्रस्थान कर सकता है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में आरोपी कर्मचारी के घरेलू कारणों के कारण अवकाश पर रहने के क्रम में न तो उसके नियंत्रण अधिकारी को सूचित किया जाना प्रमाणित हुआ है और न ही पूर्व में अवकाश स्वीकृत करवाकर अवकाश पर रहना प्रमाणित हुआ है।

इस प्रकार जांच अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी कर्मचारी श्री दलपत सिंह सिंदल के विरूद्ध विरचित आरोप प्रमाणित पाये हैं।

निष्कर्षः–

हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन कर विचार किया, जिससे उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट दिनांकित 03.11.2023 से असहमत होने का कोई आधार नहीं है।

अतः हस्तगत प्रकरण में जांच अधिकारी के निष्कर्ष से सहमत होते हुये आरोपी कर्मचारी श्री दलपत सिंह सिंदल पुत्र स्व0 श्री मोहब्बत सिंह सिंदल, कनिष्ठ सहायक तत्कालीन कार्यालय अपर लोक अभियोजक, जैतारण जिला पाली हाल पदस्थापन कार्यालय अपर लोक अभियोजक, देसूरी जिला पाली के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन दिनांक 19.11.2019 के द्वारा प्रसारित/विरचित आरोप प्रमाणित पाये जाने के परिणामस्वरूप इनको तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्यूत (Dismissal from service) किये जाने के दण्ड से एतद्द्वारा दण्डित किया जाता है।

ह0

(सुरेश चंद बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण।
2. जिला कलक्टर, पाली।
3. संबंधित कोषाधिकारी।
4. लेखा शाखा/सहायक लेखाधिकारी–I, वादकरण।
5. अपर लोक अभियोजक, देसूरी जिला पाली।
6. श्री दलपत सिंह सिंदल पुत्र स्व. श्री मोहब्बत सिंह सिंदल, निवासी मु0पो0 बेड़ा, छत्तरियों का बास (बेड़ा), तहसील–बाली, जिला पाली।
7. ए0सी0पी0, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

03/06/25

शासन सचिव, विधि